

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2021

फा. क्र. 496-2021-इक्कीस-ब(दो).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1908) की धारा 23 तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 122 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

अध्याय 1 (भाग-1) के नियम 10 के खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(एक) A4 आकार के कागज के दोनों ओर, जिसका GSM 75 से कम न हो, यूनिकोड मंगल फॉन्ट, आकार 16 (देवनागरी लिपि हेतु) एवं टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट, आकार 14 (रोमन लिपि हेतु) में सफाई से अंकित अथवा मुद्रिका हो, जिसमें ऊपरी और पृष्ठ भाग पर 1.5” बाँयी और 1.75” एवं दायी और कम से कम 1” का हाशिया छोड़ेंगे तथा 1.5 लाईन स्पेसिंग रखेंगे.”

F. No. 496-2020-XXI-B(II).—In exercise of the powers conferred by Article 227 of the Constitution of India read with Section 122 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) and Section 23 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Courts Rules, 1961, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in Part-I, in Chapter-I, in rule 10, for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :—

(i) Neatly typewritten or printed in font type Unicode (Mangal) font size 16 (for Deonagari script) and font type Times New Roman font size 14 (for Roman script), on both side of A4 size paper having not less than 75 GSM, leaving 1.5" margin on the top and bottom and 1.75" margin left and at least 1.0" margin right, with one and half line space.”

फा. क्र. 498-2021-इक्कीस-ब(दो).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 484 में, विद्यमान पैराग्राफ को उप-नियम (1) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(2) यदि प्रतिलिपि के लिए आवेदन किसी अभिलेख के संबंध में हो, जिसका डिजिटलीकरण नियमों के अनुसार डिजिटलीकरण किया गया है, तो प्रमाणित प्रति ऐसे डिजिटलीकृत अभिलेख के आधार पर जारी की जा सकती है. तथापि यदि आवेदन संबन्धित अभिलेख या उसके भाग के लिए है, तो पीठासीन न्यायाधीश की अनुमति अपेक्षित होगी.”

(2) नियम 489 में,—

(1) अनुक्रमांक (4) तथा (5) में, शब्द “कक्ष” के पश्चात् प्रतीक तथा शब्द “/न्यायालय” अन्तःस्थापित किए जाएं.

(2) अनुक्रमांक 11 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“12 हार्ड कॉपी से तैयार प्रति अथवा

13. डिजिटलीकृत अभिलेख से तैयार प्रति.”

F. No. 498-2021-XXI-B(II).—In exercise of the powers conferred by article 227 of the Constitution of India, the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Civil Courts Rules, 1961, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) in rule 484, the existing paragraph shall be renumbered as sub-rule (1) and after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

“(2) If, the application for copying relates to any record, which has been digitized as per digitization rules, the certified copy can be issued on the basis of such digitized record. However, if the application is for pending record or part thereof the permission of the Presiding Judge shall be required.”.

(2) In rule 489,—

(1) in serial number (4) and (5), after the word “Room”, the following symbol and word “/Court” shall be inserted.

(2) after serial number 11, the following serial numbers shall be inserted, namely :—

“12. Copy prepared from the hard copy or

13. Copy prepared from the digitized record.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.